रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 356] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 1970/आश्विन 6, 1892
No. 356] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 1970/ASVINA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September 1970

S.O. 3179.—In pursuance of the provisions contained in sub-sections (1) and (2) of section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, and in supersession of its Notification No. 508/AP/66, dated the 7th January, 1967, the Election Commission, in consultation with the State Government, hereby designates—

(i) the Collector of each of the districts in the State of Andhra Pradesh other than Hyderabad district as the district election officer for his district, and

(ii) the Commissioner of Hyderabad Municipal Corporation and the Collector of Hyderabad district as the district election officers for that district,

and in respect of clause (ii) above, directs that the areas in which the two officers designated therein shall exercise jurisdiction shall respectively be the area comprised within Municipal Corporation of Hyderabad and the remaining area of that district.

[No. 508/AP/70.]

By order,

ROSHAN LAL, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1970

एस० ओ० 3179.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 कक की उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, तथा अपनी अधिसूचना सं० 508/आ०प्र०/66, तारीख 7 जनवरी, 1967, को अधिक्रान्त करते हुए निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से—

(i) हैदराबाद जिले के अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले के कलेक्टर को उस जिले के लिए जिला निर्वाचन आफिसर के रूप में, तथा

(ii) हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त और हैदराबाद जिले के कलेक्टर को उस जिले के लिए जिला निर्वाचन आफिसरों के रूप में;

एतद्द्वारा पदाभिहित करता है; और उपर्युक्त खण्ड (ii) के बारे में यह निदेश देता है कि वे क्षेत्र जिनमें, उसमें पदाभिहित वे दोनों आफिसर अधिकारिता क प्रयोग करेंगे, क्रमशः हैदराबाद नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र तथा उस जिले का अवशिष्ट क्षेत्र होगे ।

[सं० 508/आ०प्र०/70]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970